न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 112/2016 दायरा दिनांक : 27.06.2016

उनवान

1— जमनालाल वल्द प्रभू लाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— मूलचन्द वल्द प्रभू, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— कजोड़ीबाई बेवा प्रभू, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— परमानन्द वल्द कंवरिया, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राधाकिशन वल्द मन्ना, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— कन्हैयालाल वल्द मन्ना, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— मोहनलाल वल्द मन्ना, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— बद्रीबाई पुत्री मन्ना जोजे बद्रीलाल, जाति तेली, निवासी भूमरीया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

5— गोपाल वल्द मानकचन्द, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6— हेमराज वल्द मानकचन्द, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— नीरू पुत्री मानकचन्द जोजे डेकाराम, जाति तेली, निवासी कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

8— कृष्णाबाई बेवा मानकचन्द, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— लालचन्द वल्द हीरालाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— गोपाल वल्द हीरालाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11— नारायन वल्द हीरालाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12— छोटेलाल वल्द हीरालाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

13— कैलाशीबाई पुत्री हीरालाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

14— सुन्दरलाल वल्द भंवरलाल, जाति तेली, निवासी थनवाद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

15— शाखा प्रबन्धक महोदय हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा

16— शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक आफ बडोदा, शाखा अकलेरा

17— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रविशंकर विजय अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 7/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 8 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम थनावत तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 255 की खसरा नम्बर 331 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 332 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 333 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 516 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 552 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 654 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 708 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 709 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, कुल 8 किता की 31 बीघा 19 बिस्वा आराजी शामलाती खाते में स्थित है जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 का 4/15 हिस्सा, वादी नम्बर 5 लगायत 8 का 1/15 हिस्सा है । सहखातेदार पशमाबाई बेवा हीरालाल का देहान्त हो चुकी है जिसके वारिस वादीगण 1 लगायत 4 हैं । शामलाती खाते में आराजी रहने से हांकने जोतने और करताराज अदा करने में कठिनाई आती है । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि समस्त पक्षकारान को सूचना दिये बिना दिनांक 24.05.2016 को लोक अदालत में बिना अपीलांट की सहमति के निस्तारण कर दिया है । आराजी का मोती लाल ने अपने जीवनकाल में मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया था और उसी के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त थे । दावा बेरून मियाद है । अपीलांट से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की है । राजीनामा पेश नहीं हुआ है । काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 10 लगायत 12 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । अन्य प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड के हिसाब से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । कब्जा मुखालफाने का सिद्धांत लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से वादी नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 7/1 व 7/2 उपस्थित थे । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं थे और न ही पक्षकारों ने कोई राजीनामा पेश किया था । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.03.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा